

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 255]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 10 अगस्त 2026—श्रावण 19, शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2026

क्र. 7634-158-इक्कीस-अ (प्रा.).- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 7 अगस्त 2026 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ५ सन् २०२६

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) अधिनियम, २०२६

[दिनांक ७ अगस्त, २०२६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक १० अगस्त, २०२६ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

वित्तीय वर्ष २०२६-२०२७ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) अधिनियम, २०२६ है.

वित्तीय वर्ष २०२६-२०२७ के लिए राज्य की संचित निधि में से रुपये ७,७६५,७६,५७,१५४ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये सात हजार सात सौ पैंसठ करोड़ छिहत्तर लाख सत्तावन हजार एक सौ चौवन होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०२६-२०२७ के दौरान दिए जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में, अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी:-

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपये में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
		रुपये	रुपये	रुपये
	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा.			
	राजस्व	०	१,६००	१,६००
	भारित विनियोग-लोक ऋण			
	पूंजी	०	१००	१००
००१. सामान्य प्रशासन	राजस्व	६००	०	६००
००३. गृह	पूंजी	१,५७,३४,८३,४३६	०	१,५७,३४,८३,४३६
००६. वित्त	राजस्व	१००	०	१००

(१)	(२)	(३)	रुपये	रुपये	रुपये
००८.	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय.	राजस्व	३,६७,५४,००,०००	०	३,६७,५४,००,०००
०१२.	ऊर्जा	पूंजी	३००	०	३००
०१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	३,५२,६६,१३,२००	०	३,५२,६६,१३,२००
		पूंजी	१००	०	१००
०१५.	घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग.	राजस्व	६,०२,०४,०००	०	६,०२,०४,०००
०१७.	सहकारिता	राजस्व	३००	०	३००
०२१.	लोक सेवा प्रबंधन	राजस्व	२५,००,००,०००	०	२५,००,००,०००
०२२.	नगरीय विकास एवं आवास	राजस्व	३००	०	३००
		पूंजी	२१,४१,००,०००	०	२१,४१,००,०००
०२३.	जल संसाधन	राजस्व	०	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
		पूंजी	१,४००	०	१,४००
०२४.	लोक निर्माण कार्य	पूंजी	१०,००,००,००,०००	३,००,००,००,१००	१३,००,००,००,१००
०२७.	स्कूल शिक्षा	राजस्व	५८,०६,७५,१००	०	५८,०६,७५,१००
०२८.	राज्य विधान मंडल	राजस्व	३००	०	३००
		पूंजी	२६,६५,७३०	०	२६,६५,७३०
०२९.	विधि और विधायी कार्य	राजस्व	३००	०	३००

(१)	(२)	(३)	रुपये	रुपये	रुपये
०३०.	ग्रामीण विकास	राजस्व पूंजी	८०० ३००	० ०	८०० ३००
०३३.	जनजातीय कार्य	राजस्व	१००	०	१००
०३४.	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण.	राजस्व	६००	०	६००
०३६.	परिवहन	राजस्व पूंजी	२८,२५,६०,४०० १,०१,००,००,०००	० ०	२८,२५,६०,४०० १,०१,००,००,०००
०३७.	पर्यटन	राजस्व	३०,०१,१५,४८८	०	३०,०१,१५,४८८
०३६.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.	पूंजी	२२,२०,६२,००,०००	०	२२,२०,६२,००,०००
०४०.	पंचायत	पूंजी	७,५०,००,०००	०	७,५०,००,०००
०४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व पूंजी	५०० ५०,००,००,१००	० ०	५०० ५०,००,००,१००
०४५.	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	राजस्व	१००	०	१००
०४८.	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी	३०,००,००,००,४००	०	३०,००,००,००,४००
०४६.	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	२००	०	२००
०५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	१००	०	१००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०५१. धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	१००	०	१००
०५५. महिला एवं बाल विकास	पूंजी	१००	०	१००
योग {	राजस्व :	₹, ६७, ५८, ७३, १८८	१०,००,०१,६००	₹, ०७, ५८, ७५, ०८८
	पूंजी :	₹, ६५, ५८, १७, ८१, ८६६	३,००,००,००,२००	₹, ६८, ५८, १७, ८२, ०६६
	वृहद् योग :	₹, ७४, ५५, ७६, ५५, ०५४	३,१०,००,०२,१००	₹, ७७, ६५, ७६, ५७, १५४

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2026

क्र. 7634-158-इक्कीस-अ (प्रा.)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 3) अधिनियम, 2026 (क्रमांक 5 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 5 OF 2026

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 3) ACT, 2026

[Received the assent of the Governor on the 7th August, 2026; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 10th August, 2026.]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2026-2027.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-seventh year of the Republic of India as follows:-

- Short title.** 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2026.
- Issue of Rs. 7,765,76,57,154 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2026-2027.** 2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. Seven thousand seven hundred sixty five Crore seventy-six lakh fifty-seven thousand one hundred fifty-four towards defraying the several charges which shall come in the course of payment during the Financial Year 2026-2027 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.
- Appropriation.** 3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE
(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
Charged Appropriation- Interest Payments and Servicing of Debt.	Revenue	0	1,900	1,900
	Capital	0	100	100
001. General Administration	Revenue	900	0	900
003. Home	Capital	1,57,34,83,436	0	1,57,34,83,436
006. Finance	Revenue	100	0	100

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
008.	Expenditure On Land Revenue, District Administration And Disaster Relief.			
	Revenue	3,97,54,00,000	0	3,97,54,00,000
012.	Energy			
	Capital	300	0	300
013.	Farmers Welfare And Agricultural Development.			
	Revenue	3,52,69,13,200	0	3,52,69,13,200
	Capital	100	0	100
015.	Nomadic And Semi-Nomadic Tribe Department.			
	Revenue	6,02,04,000	0	6,02,04,000
017.	Co-operation			
	Revenue	300	0	300
021.	Public Service Management			
	Revenue	25,00,00,000	0	25,00,00,000
022.	Urban Development and Housing.			
	Revenue	300	0	300
	Capital	21,41,00,000	0	21,41,00,000
023.	Water Resources			
	Revenue	0	10,00,00,000	10,00,00,000
	Capital	1,400	0	1,400
024.	Public Works			
	Capital	10,00,00,00,000	3,00,00,00,100	13,00,00,00,100
027.	School Education			
	Revenue	58,06,75,100	0	58,06,75,100
028.	State Legislature			
	Revenue	300	0	300
	Capital	29,95,730	0	29,95,730

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
029.	Law and Legislative Affairs			
	Revenue	300	0	300
030.	Rural Development			
	Revenue	800	0	800
	Capital	300	0	300
033.	Tribal Affairs			
	Revenue	100	0	100
034.	Social Justice and disabled Person welfare.			
	Revenue	900	0	900
036.	Transport			
	Revenue	28,25,60,400	0	28,25,60,400
	Capital	1,01,00,00,000	0	1,01,00,00,000
037.	Tourism			
	Revenue	30,01,15,488	0	30,01,15,488
039.	Food, Civil Supplies and Consumer Protection.			
	Capital	22,20,62,00,000	0	22,20,62,00,000
040.	Panchayat			
	Capital	7,50,00,000	0	7,50,00,000
044.	Higher Education			
	Revenue	500	0	500
	Capital	50,00,00,100	0	50,00,00,100
045.	Public Assets Management.			
	Revenue	100	0	100
048.	Narmada Valley Development.			
	Capital	30,00,00,00,400	0	30,00,00,00,400
049.	Scheduled Caste Welfare			
	Revenue	200	0	200
050.	Horticulture And Food Processing.			
	Revenue	100	0	100

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
051. Religious Trusts And Endowments.	Revenue	100	0	100
055. Women and Child Development.	Capital	100	0	100
Total :	Revenue	—	8,97,58,73,188	10,00,01,900
	Capital	—	65,58,17,81,866	3,00,00,00,200
Grand Total	—	74,55,76,55,054	3,10,00,02,100	77,65,76,57,154